मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 11-97/2010/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक 4/12/2010

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम–2008 के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में विकास शुल्क लेने बाबत् ।

विषयांतर्गत उद्योग संघों द्वारा शासन के ध्यान में लाया गया है कि पूर्व में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत हस्तांतरण के प्रकरणों में विकास शुल्क कतिपय औद्योगिक केन्द्र विकास निगम एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा लिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम–2008 की कंडिका 19 (ब) (ii) में हस्तांतरण की अनुमति की शर्ते निर्धारित हैं, जिसके अनुसार विकास केन्द्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाईयों के हस्तांतरण के प्रकरणों में विकास शुल्क लेने का प्रावधान नहीं है। साथ ही उक्त नियमों के खण्ड–ब परिशिष्ट–ए के अनुसार विकास शुल्क एक बार ही लिये जाने का प्रावधान है।

अतः मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम–2008 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों/विकास केन्द्रों के अन्तर्गत होने वाले हस्तांतरण से सम्बंधित प्रकरणों में **विकास शुल्क न लिया जावे।**

(एम.एस. सोलंकी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क0 एफ 11-97/2010/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक /12/2010

प्रतिलिपिः–

1. प्रवंध संचालक, एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., भोपाल
2. प्रवंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि., भोपाल की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश
(अधोसरंचना विकास कक्ष)

पृ0 क्रमांक 48/आई.डी./विविध/(4)/04/7379–7442 भोपाल, दिनांक 9.12.10

प्रतिलिपिः–

1. प्रबंध संचालक,
मध्यप्र0 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम
भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन.
2. प्रबंध संचालक,
औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम,
ग्वालियर ।
3. अपर/संयुक्त संचालक उद्योग,
परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,
भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/ग्वालियर एवं सागर ।
4. महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
————————————म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

सहायक संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त,म0प्र0